न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 17/2021 तारीख दायर :–11.08.2021 दिनांक निर्णय :–08.09.2021

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1 .जगदीश पुत्र भगवान जाति जोगी निवासी ग्राम बीघोता तहसील राजगढ़ अलवर
2. मुकेश पुत्र भगवान जाति जोगी निवासी ग्राम बीघोता तहसील राजगढ़ अलवर
3. कमलेश पुत्र भगवान जाति जोगी निवासी ग्राम बीघोता तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्राथीगण द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का बीघोता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थीगण का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस बैरवा द्वारा तलब किया गया। अप्रार्थीगण जगदीश, मुकेश, कमलेश पुत्रान भगवान जाति जोगी द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 24.08.2021 को पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया, जिसमें अतिक्रमी भूमि को रेगुलाईज करने का निवेदन किया गया तथा अप्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत के लिए आज तक का समय दिया गया। आज अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहा अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का बीघोता के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में बाजरा बोकर कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:– अतिक्रमी जगदीश, मुकेश, कमलेश पुत्रान भगवान जाति जोगी निवासी ग्राम बीघोता को आराजी ख0न0 954 रकबा 0.80 हे0 किस्म बारानी–2 सिवायचक वाके ग्राम बीघोता से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान **4.80** की 50 गुणा में मु0 240.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी एवं फसल नीलामी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर एवं फसल कब्जे राज को नीलामी कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 16 पर सि.च. 240/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)